यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) के माह 04/2012 से 10/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 14.11.2017 से 16.11.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** स्वास्थ्य केन्द्र को अप्रैल 2012 से आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया है जिसके पश्चात यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूल–भूत सुविधाओं की ब्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करना, औषधि क्रय,निःशुल्क वितरण की ब्यवस्था प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13		–	61.65	45.91	44.56	42.69		15.74		1.87
2013–14	–	–	85.42	75.22	74.14	73.59	–	10.20	–	0.55
2014–15	–	–	85.02	77.28	66.21	66.11	–	7.74	–	0.10
2015–16	–	–	193.52	133.10	36.88	27.97	–	60.42	–	8.90
2016–17	–	–	155.49	131.48	33.30	27.88	–	24.01	–	5.42
2017–18 (09/2017)	–	–	99.31	87.53	22.13	14.02	–	11.48	–	8.11

नोटः अवशेष में मात्र सी0पी0एस0 की धनराशि है। बाकी मदों (स्थापना/गैर–स्थापना) में अवशेष धनराशि मार्च माह में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2013–14	एन0एच0एम0 एवं एड्स कार्यक्रम					
2014–15						
2015–16			अप्रस्तुत अभिलेख			
2016–17						
2017–18 (09/2017)						

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार द्वारा तथा एन0एच0एम0 का बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

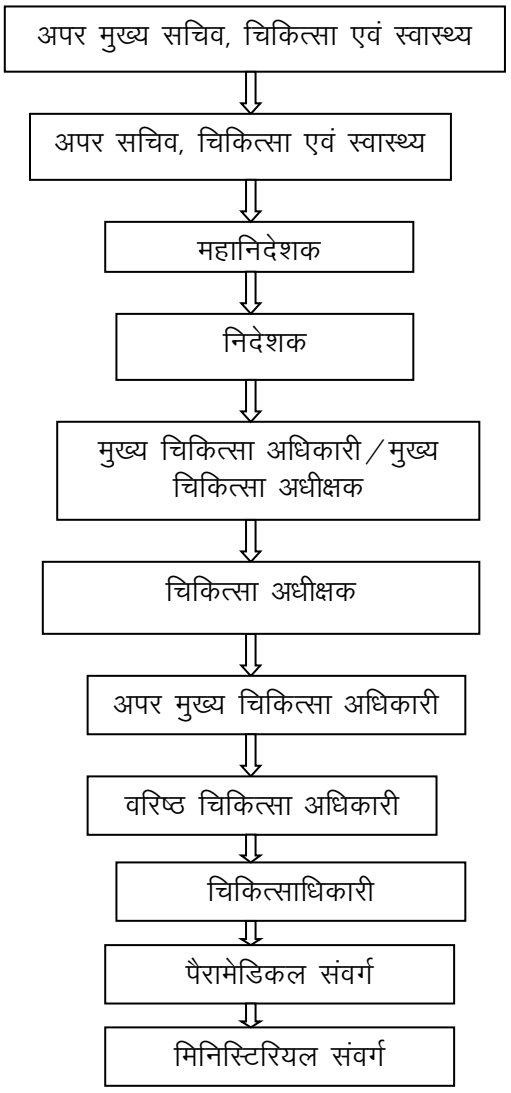

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **अगस्त** 2017, **जून** 2016 एवं **नवम्बर** 2015 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 23.79 लाख के अनियमित व्यय

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) **के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि** वर्ष 2013–14 से 2017–18 (10/2017) तक हरमनी स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं नारायणबगड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 1,568 लाभार्थियों एवं 1,295 आशाओं को क्रमशः रु0 21.95 लाख एवं रु0 7.29 लाख का भुगतान किया गया। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 29.24 लाख का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा– निर्देशों के विपरीत किया गया था, **जिसका विवरण निम्नवत् हैः-**

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 792 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 11.09 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
3. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 1.84 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

वर्ष 2012–13 से 2017–18 (10/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.7 – 5)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.8 – Col.9)
(1)	(2)	(3)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
2012–13	ग्रामीण	241	0	241	241	337400	0	337400
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
2013–14	ग्रामीण	247	0	247	247	345800	0	345800
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
2014–15	ग्रामीण	306	0	306	306	428400	0	428400
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
2015–16	ग्रामीण	322	0	322	322	450800	0	450800
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
2016–17	ग्रामीण	389	0	389	389	544600	0	544600
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
2017–18 (10/2017)	ग्रामीण	63	0	63	63	88200	0	88200
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
योगः–	**ग्रामीण**	**1568**	**0**	**1568**	**1568**	**2195200**	**0**	**2195200**
	शहरी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
महायोगः		**1568**	**0**	**1568**	**1568**	**2195200**	**0**	**2195200**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 29.24 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ए0एन0एम0 की कमी एवं व्यवस्तता द्वारा टीकाकरण एवं परिवार कल्याण में ब्यस्थता के कारण कार्ड जे.एस.वाई. कार्ड पूर्व में नहीं भरे गए तथा प्रसव के पश्चात लाभार्थियों के परिवार वाले स्वास्थ्य केन्द्र में न रुकने हेतु अनुरोध करते है। आशाओं को एकमुश्त राशि के सम्बन्ध में बताया कि प्रोत्साहन धनराशि कम होने के कारण प्रतिमाह एकमुश्त राशि प्रदान की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थियों एवं आशाओं को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 23.79 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 रु0 1.43 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 एवं 197 के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री को यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) के केन्द्रीय भण्डार पंजिका एवं सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र में रु. 1,42,554 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री/उपकरण नीलामी हेतु लम्बित थी। आगे, जांच करने पर यह पाया गया कि 168 निष्प्रयोज्य सामग्री/उपकरण ऐसी थी जिसका मूल्य दर्शाया नहीं गया था, जिसको नीलामी हेतु लेखापरीक्षा अवधि तक कोई प्रयास नहीं किए गये थे। इस प्रकार, समय पर निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलामी न किए जाने से उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री/उपकरणों का न केवल निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा है अपितु नीलामी से प्राप्त होने वाली विभागीय प्राप्तियों की भी हानि हो रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य मे नीलामी के कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों को सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार की जानी चाहिए थी।

अतः रु. 1.43 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- ई भुगतान की धनराशि रु. 88.43 लाख को रोकड़ बही में प्रविष्टि न किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई-भुगतान प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबंधित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने कि विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबंधित अभिलेखों यथा 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल पंजिका इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त फार्म बी.एम.-05 में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित माह में किए गये लेन देनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रुप में वर्णित है कि "Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me" and "Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement".
कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायण बगड़ (चमोली) की रोकड़ बही की विस्तृत लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि चयनित माह नवम्बर 2015, जून 2016 एवं अगस्त 2017 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त (Form BM-5 सीटीआर) के कुल रु. 88.43 लाख की सकल धनराशि को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया था, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि रु. लाख में)

माह/वर्ष	**प्रपत्र**	**राशि**
नवम्बर 2015	CTS UK BM-05	26.12
जून 2016	CTS UK BM-05	24.72
अगस्त 2017	CTS UK BM-05	37.59
योगः-		**88.43**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त भुगतान ई-भुगतान होने के कारण रोकड़ बही में अंकित नहीं की गई। भविष्य में ई-भुगतान को रोकड़ बही में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए गये थे जिनका कार्यालय द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए था।

अतः ई-भुगतान की धनराशि रु. 88.43 लाख को रोकड़ बही में प्रविष्टि न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–3 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 1.11 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार फार्माशिष्टों/चीफ फार्माशिष्टों का वेतनमान रु0 2800 (5200-20200) से उच्चीकृत/संशोधन करते हुए वेतनमान रु0 4200 (9300-34800) दिया गया। इसकी पुनरावृत्ति सभी संवर्गों में की गई थी।

04 फार्माशिष्टों **की नियुक्ति दिनांक** 01.01.2006 **के पश्चात हुई थी तथा इनकी नियुक्ति के पश्चात** शासनादेश संख्या 2084/XXVII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 में इस संवर्ग के वेतन को उच्चीकृत/संशोधित किया गया। जिसके अनुसार जिन कार्मिकों का ग्रेड वेतन रु. 2800 था उनकों उच्चीकृत करते हुए दिनांक 25.01.2008 को रु. 9300+4200= रु. 13,500 के स्थान पर रु. 9630+4200 = रु. 13,360 पर वेतन निर्धारण किया गया, जो कि शासनादेश दिनांक 13.02.2009 के विपरीत था। इस प्रकार, 04 फार्माशिष्टों का वेतन दिनांक 25.01.2008 से 31.12.2015 तक कुल रु. 1.11 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणबगड़, चमोली के निम्नलिखित कार्मिकों का वेतन निर्धारण निर्धारित तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने पर GP-2800 के स्थान पर GP-4200 दिया गया था। GP-4200 की entry pay 9300+4200= 13500 के स्थान पर 9630+4200= 13830 पर वेतन निर्धारण किया गया। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु. 330 प्रतिमाह की दर से वेतन अधिक दिया गया था जिसके कारण 01.01.2009 से 31.12.2015 तक कुल रु. 1.11 लाख अधिक वेतन दिया गया था।

क्र.सं.	**कार्मिक का नाम**	**पदनाम**	**त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की अवधि**	**अधिक भुगतान की राशि**
1.	श्री कृष्ण दत्त	फार्माशिष्ट	1.1.08 से 01.01.15	31593.00
2.	श्री प्रकाश लाल	-तदैव-	1.1.08 से 01.01.15	31593.00
3.	श्री प्रकाश चन्द्र ममगाई	-तदैव-	1.1.08 से 01.01.15	34599.00
4.	श्री जगजीत सिंह	-तदैव-	1.7.12 से 01.01.15	13140.00
योगः-				110925.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारायण बगड़ ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण पर उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप रु. 1.11 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
यह प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का बजट, कैशबुक एवं संबंधित वाउचर

2. **सतत् अनियमितताऐंः**

   (i) }
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. मनोज कुमार	चिकित्सा अधिकारी	28.08.2012 से 07/2016
2.	डा. हिमवन्त बुधियाल	चिकित्सा अधिकारी	07/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, नारायणबगड़, (चमोली) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र